[Shri Sham Lal Saraf]

I am thankful to the hon. Minister. He is very alive to the immediate needs of this industry and he is in a position and in a mood to take some of us who are interested in this industry and who come from sericultural States into confidence so that we can discuss threadbare as to how the working of this agency can be co-ordinated.

As I said at the beginning, I never meant any interference by the Board into the activities of the States. I only wanted to have a probe made into this industry so that the attention of this Government and this august House can be drawn to this industry. Now I very much appreciate the views expressed by the Minister, especially his assurance. With these words, I would request that I may be permitted to withdraw the Bill.

Mr. Deputy-Speaker: Has the hon. Member the leave of the House to withdraw the Bill?

Some hon. Members: Yes.

The Bill was, by leave, withdrawn.

15.57 hrs.

LENGTH OF CINEMATOGRAPH FILMS (CEILING) BILL

Shri Rameshwar Tantia (Sikar): I beg to move:

"That the Bill to provide for the fixation of ceiling on the length of cinematograph films produced in the country be taken into consideration."

उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारे देश में देशी भाषाओं में जो फिल्में तैयार होती हैं, वे बहुत लम्बी होती हैं और उनकी लम्बाई आम तौर पर चौदह पंद्रह हजार फ़ीट होती है। वे फ़िल्में और तत्सम्बन्धी अन्य सामान—फ़िल्म धोने के मसाले, कैमरे और दूसरी चीजें — विदेशों से आती हैं। एक तरफ़ तो हमें बहुत जरूरी चीज़ों के लिए भी फ़ारेन एक्सचेंज नहीं मिलता है और दूसरी तरफ़ हम फ़िल्मों के लिए इतनी ज्यादा फ़ारेन एक्सचेंज जाया करते हैं। अगर लम्बी फ़िल्में देश के लिये जरूरी हों, अगर उन से देखने वालों और इस देश का कुछ फ़ायदा हो, तो यह बात समझ में आ सकती है कि हम उन के लिए फ़ारेन एक्सचेंज खर्च करें, परन्तु जहां तक मेरा अनुभव है — मैं बहुत फ़िल्में तो नहीं देखता, महीने में एक दो बार जाता हूं —फ़िल्मों को लम्बा बनाने के लिये उन में ऊल-जलूल दृश्य फ़िल्म निर्माताओं को रखने पड़ते हैं, जिस से देखने वालों को सिर-दर्द हो जाता है और वे यह नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : क्या माननीय सदस्य बतायेंगे कि क्या वह सिर-दर्द के लिये महीने में एक दो दफ़ा फ़िल्में देखने जाते हैं ?

श्री रामेश्वर टांटिया : मुझे कहना पड़ता है कि मैं हिन्दी फिल्में नहीं देखता या कम देखता हूं, क्योंकि उनमें घूम फिर कर वही दृश्य, वही बातें और "चल चल रे नौजवान" जैसे वही गाने होते हैं। मैं अंग्रेज़ी या बंगला फिल्में देखता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जिन फ़िल्मों को प्रैजिडेंट्स एवार्ड मिला है और जो हिन्दुस्तान की अच्छी फ़िल्में साबित हुई हैं, वे छोटी फ़िल्में ही हैं लम्बी फ़िल्में नहीं। मैं कहना चाहूंगा कि पाथेर पांचाली, बिन्दूर छेले, छोटी बहन जैसी फिल्में हैं जिन को इनाम मिले हैं। जहां तक छोटी फिल्मों का सम्बन्ध है देशी भाषाओं में बंगला भाषा ही ऐसी है जिस में छोटी फिल्मों का निर्माण होता है। बंगला हम से बहुत आगे है। उस में छोटी फिल्में बनने लगी हैं। जहां तक अन्य भाषाओं का सम्बन्ध है, लम्बी लम्बी फिल्में बनाने की होड़ सी लगी हुई है। लेखकों से कहा जाता है कि तुम दो

सौ पेज का स्क्रिप्ट दी। जब ऐसा वे कर देते हैं तो इन दो सौ पेजों को फिल्म में भरने के लिए इरेलेवेंट जो बातें होती हैं, जो मैंटीरियल होता है, उस को उन में उन्हें देना पड़ता है, नाच गाने देने पड़ते हैं, चाहे उन के लिये समय उपयुक्त हो या न हो। इन बातों की कोई परवाह ही नहीं की जाती है ।

16 hrs.

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर फिल्में छोटी होंगी, अगर फिल्मों की लम्बाई दस हजार फीट से अधिक नहीं होगी तो फोरेन एक्सचेंज बचाने की आज जो आवश्यकता है उस की पूर्ति हो सकेगी तथा और कई तरह की बचतें हो सकेंगी। जहां तक अंग्रेजी फिल्मों का सम्बन्ध है, वे दो घंटे में ही खत्म हो जाती हैं और बीस मिनट की न्यूज रील होती है, इस तरह से कुल मिला कर सवा दो घंटे में वे खत्म हो जाती हैं। लेकिन हिन्दी फिल्में तीन घंटे साढ़े तीन घण्टे तक चलती हैं। इस वास्ते कई लोग अंग्रेजी फिल्में देखने के लिये जाते हैं और अगर वे न जायें और वह तभी हो सकता है जब देशी भाषाओं की फिल्मों की लम्बाई कम हो तो जो पैसा विदेशों को जाता है, उस की बचत हो सकता है। साथ ही साथ इस से हिन्दी तथा अन्य भारतीय भाषाओं की बड़ी सेवा भी हो सकती है। आज चाहते हुए भी लोग देशी फिल्में नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उन की लम्बाई अधिक होती है। जब अच्छी सुरुचिपूर्ण चीज नहीं मिल पाती है तो चीप मैटीरियल देना पड़ता है। वहां जो दर्शक जाते हैं, वे इसी तरह के जाते हैं। उनकी इस रुचि को हमें मोड़ना होगा। हो सकता है कि इस में कठिनाई पड़े परन्तु इस रुचि को मोड़ना होगा। यह देश के लिए तथा लोगों के लिए अच्छा होगा। सरकार को भी इस में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि बहुत झंझट उठाना पड़े। दस हजार फुट लम्बाई मैक्सिमम आप कर दें। अगर कोई माइथोलोजिकल फिल्म बनाना चाहे और चाहे कि उस की लम्बाई अधिक होनी चाहिये तो जैसा कि मैं ने बिल में कहा है, वह सरकार को एप्लाई करके उस की मंजूरी ले सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि सरकार इस पर विचार करे और फिल्मों की लम्बाई अधिक से अधिक दस हजार फीट कर दे।

Mr. Deputy-Speaker: Motion moved:

"That the Bill to provide for the fixation of ceiling on the length of cinematograph films produced in the country be taken into consideration."

श्री यु० सिं० चौधरी (महेन्द्रगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जो बिल टांटिया जी ने उपस्थित किया है, उस का मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस में कोई सन्देह नहीं है कि जो हमारी फिल्में होती हैं जितनी हमें आवश्यकता होती है, उस से कहीं अधिक लम्बी होती हैं। लेकिन फिल्मों की लम्बाई को कम करने का प्रश्न अकेला ही प्रश्न नहीं है, इस के साथ और भी बहुत से प्रश्न जुड़े हुए हैं, और भी बहुत सी बातें जुड़ी हुई हैं।

हमें खुद का अनुभव है कि फिल्मों की लम्बाई दो घंटे से ले कर तीन साढ़े तीन घंटे तक की होती है। ऐसा प्रतीत होती है कि डायरेक्टर्स की यह राय रहती है कि फिल्मों को लम्बा किया है। फिल्मों का प्रचलन बहुत पहले से होता आ रहा है। आप जानते ही होंगे कि पहले पहल, दस बीस साल पहले इस से भी अधिक लम्बी फिल्में होती थीं, शायद हफ्ते हफ्ते भर तक वे फिल्में चलती थीं, तीन घंटे एक दिन, तीन घंटे दूसरे दिन और तीन तीसरे दिन। व्यर्थ की जासूसी बातें उन में रख दी जाती थीं।

जैसा मैं ने पहले कहा है फिल्मों की लम्बाई कम करने के प्रश्न के साथ और भी बहुत से

[श्री यु० सिं० चौधरी]

प्रश्न सम्बन्धित हैं । जब फिल्मों को गैर-जरूरी तौर पर डायरेक्टर लोग लम्बा करने की कोशिश करते हैं तो जिस उद्देश्य से चलचित्र का निर्माण हो रहा होता है, जिस भावना को ले कर उस का निर्माण हो रहा होता है, वह तो वहीं समाप्त हो जाती है और उस की वजह बीच में ऊलजलूल बातें, अननिसैसरी बातें, इरेलेवेंट बातें भर दी जाती हैं । हिन्दी फिल्मों को देखने वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि रेपीटीशंज, पुनरावृत्तियों, अप्राकृतिक दृश्यों इत्यादि से ये फिल्में भरी रहती हैं और ऐसी बातें उन में होती हैं जिन का समाज से कोई सम्बन्ध नहीं होता है । इसलिये. . . .

श्री बाल्मीकी (खुर्जा) : अप्राकृतिक दृश्य तो काट दिये जाते हैं ।

श्री यु० सिं० चौधरी : अब लम्बी फिल्में बनाने की प्रवृत्ति बनती है, ढाई तीन घंटे की फिल्म बनाने की प्रवृत्ति बनती है तो घुमा फिराकर एक ही बात को बार-बार दिखाया जाता है, भद्दे ढंग से उस को दिखाया जाता है और समय पूरा किया जाता है । ऐसा मालूम देता है कि समय की आज कोई बड़ी कद्र नहीं है । एक स्वतन्त्र देश को समय की कद्र करना सीखना चाहिये । हम ऐसा सीखते दिखाई नहीं देते हैं । जो दर्शक हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उन को ढाई तीन घंटे वहां सिनेमा हाल में बैठना पड़ता है,उसी समय की या जो समय उन का बचे, उस को अगर वे अच्छे काम में लगायें, तो क्या ही सुन्दर हो । मेरा कहने का यह तात्पर्य नहीं है कि लोग मनोरंजन के लिए न जायें । मनोरंजन के लिये वे अवश्य जायें, लेकिन अंग्रेजी फिल्मों की तरह से उन का डेढ़ दो घंटों में भी मनोरंजन हो सकता है । तीन साढ़े तीन घंटे की फिल्मों की कोई जरूरत नहीं है । इस से किसी उद्देश्य की सिद्धि होती है, ऐसा दिखाई नहीं देता है ।

आजकल एमरजेंसी का समय है । एक दो महीने पहले जब वास्तव में देश में एमरजेंसी थी उस समय भी रीगल के सामने अगर आप खड़े हो जाते थे तो क्या पाते थे ? एक तरफ तो इस तरह की बातें ही रही थीं सारे देश में कि वह इतना आगे बढ़ गया और उतना आगे बढ़ गया लेकिन वहां पर,रीगल बिल्डिंग पर, इसके बिल्कुल ही विपरीत वातावरण आपको मिलता था । यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है । सिनेमा साहित्य और कला का है और विचारों तथा भावनाओं को बनाने में बड़ा सहायक सिद्ध होता है । जो कुछ लोग वहां पर देख कर आते हैं वैसी ही प्रवृति उनकी बनती है और वसी बातें वे समाज के अन्दर रह कर सीखने का प्रयत्न करते हैं । जो लोगों का समय बचे, उसका ठीक इस्तेमाल हो सके, इसके लिए यह निहायत आवश्यक है कि फिल्मों की लम्बाई छोटी हो । अगर लम्बाई छोटी बनाने का निर्णय किया जाता है तो डायरेक्टर्ज पर इसकी जिम्मेवारी होगी कि जिस प्रकार की फिल्में वे बनाना चाहते हैं, जिस उद्देश्य को सामने रख कर वे फिल्मों की रचना करना चाहते हैं, जो तत्व हैं, जो सार है, जिसको सामने रख कर वे फिल्में बनाना चाहते हैं, हैं, वे डेढ़ या पौने दो घंटे में ही बन जायें और इस उद्देश्य की सिद्धि के लिए अच्छे और सही दृश्य उनमें लाये जायें । इसमें लोगों का तथा देश का दोनों का हित है ।

इन शब्दों के साथ टांटिया जी ने जो बिल रखा है कि फिल्मों की लम्बाई को कम किया जाए, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

Shri Himatsingka (Godda): Sir, before you call upon another speaker, I want to raise a point of order as to whether we can discuss this Bill here. The legislative relations between the Union and the States have been defined in Chapter I, Part XI, of the Constitution. Under the heading of 'Distribution of legislative powers' article 246 provides as to what will be discussed in Parliament, what will be discussed in the State

Legislatures and what can be discussed in both. List I of the Seventh Schedule enumerates the subjects which can be discussed in Parliament alone. List II sets out the subjects which are to be discussed in State Legislatures. Entry 33 of List II (Seventh Schedule) says:

"Theatres and dramatic performances; cinemas subject to the provisions of entry 60 of List I;"

Entry 60 of List I says:

"Sanctioning of cinematograph films for exhibition."

So, so far as the Union Government is concerned, it has authority only to sanction cinematograph films which are to be prepared by exhibitors. That can only be permitted under entry 33 of List II (Seventh Schedule). That means that it can only be discussed in the State legislatures. Therefore I submit that this House is not competent to take up the consideration of this Bill.

Shri Rameshwar Tantia: It is not for cinemas only.

Mr. Deputy-Speaker: There is no point of order in it. It has been the convention of this House that we do not go into the constitutional question. It is for the courts to determine whether a particular piece of legislation is *ultra vires* or *intra vires*. Shri R. S. Pandey.

श्री रा० शि० पाण्डेय (गुना) : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल श्री टांटिया जी ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

जहां तक फिल्म की लम्बाई कम करने का सम्बन्ध है इससे केवल हमारा फारिन एक्सचेंज ही नहीं बचेगा वरन् इसका यह परिणाम भी होगा कि अच्छे फिल्म बनाने के लिए कांसेंट्रेटेड एफर्ट होगा और ज्यादा अच्छे प्रोड्यूसर और डाइरेक्टर सामने आएंगे ।

हमारे फिल्मों में पांच एस्पेक्ट हैं, एक टैक्निकल, दूसरा सोशल, तीसरा कला सम्बन्धी, चौथा अर्थ सम्बन्धी और पांचवां मनोरंजन । हमें पिक्चर में इन पांचों चीजों को देखना चाहिए कि कहां पर किस चीज की कमी है और पिक्चर किस दृष्टि से कमजोर है । जो फिल्म न्यूयार्क और हालीवुड में बनते हैं या जो फिल्म इंग्लैण्ड में बनते हैं उनको मनुष्य की साइकालाजी को सामने रख कर बनाया जाता है । एक आदमी जो फिल्म देखने जाता है, वह अपने आपको एंटरटेन करना चाहता है । विदेशों में लोग दो सवा दो घंटे के लिए आठ नौ हजार फीट लम्बी फिल्म उनके लिए बनाते हैं और उसको प्रदर्शित करते हैं । चूंकि फिल्म की लम्बाई सीमित होती है इसलिए उसको बनाने में वे लोग कांसेंट्रेटेड एफर्ट करते हैं, उसको स्टोरी के लिहाज से, डिस्प्ले के लिहाज से हर लिहाज से अच्छा बनाने की चेष्टा करते हैं । लेकिन यहां पर सब कुछ चलता है । स्टोरी, अभिनय आदि का कुछ भी ध्यान नहीं रखा जाता । फिल्म फ्लूक से चल गया तो चल गया । बड़ा सस्ता मैटीरियल उसमें दिया जाता है । यह समझ में नहीं आता कि इनको बनाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है या नहीं कि ये हमारे देश के मनोरंजन का प्रतिनिधित्व करते हैं या नहीं, हमारे मनोरंजन के लिए उपयुक्त वातावरण बनाते हैं या नहीं ।

अभी टांटिया जी ने कहा कि फिल्मों में इस तरह के गाने होते हैं कि :

'चल चल रे नोजवान'

यह तो बहुत अच्छा गाना है । लेकिन उनमें इस तरह के भी गाने होते हैं कि

'इस दिल के टुकड़े हजार हुए,
एक यहां गिरा एक वहां गिरा'

आप देखें कि जब जरा पैलपिटेशन होता है तो आदमी बैठ जाता है, अगर दिल के हजार टुकड़े किए जाएं और फेंक दिए जाएं तो क्या अवस्था होगी । इस गाने के पीछे यह डिस्प्ले होता है कि हीरोइन आती है और डिस्प्ले करती है और एक अजीबो गरीब वातावरण पदा

[श्री रा० शि० पाण्डेय]

करने की कोशिश की जाती है जो हमें सूट नहीं करता ।

हमारे यहां की फिल्मों में एक खास पैटर्न आप पाएंगे । या तो एक लड़की है और दो लड़के हैं, या दो लड़के हैं और एक लड़की है और उनको लेकर स्टोरी चलती है । बीच में वर्थ डे सेलीब्रेशन आ जाता है । फिर दिखाया जाता है कि लड़की बड़ी हो गयी है और माता-पिता जिस लड़के से विवाह करना चाहते हैं उससे नहीं करती और इस सिलसिले में मां या बाप के एक चांटा अवश्य पड़ जाता है । बहुत बार तो लड़की घर से भाग जाती है । आप देखेंगे कि अक्सर लड़के और लड़की में सड़क पर लव हो जाता है, जिसको लव एफेयर आन रोड कहते हैं । कभी बगीचे में लव हो जाता है ।

श्री दी० चं० शर्मा : कभी बस स्टैंड पर लव हो जाता है ।

श्री रा० शि० पाण्डेय : ठीक है, ऐसा भी होता है । यह शर्मा जी का अपना अनुभव है, इसे मैं स्वीकार करता हूं ।

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इन फिल्मों में हमारी परम्परा का प्रदर्शन नहीं होता । यह चीज हमारे समाज को सूट नहीं करती । हमारा समाज एक बंधा हुआ समाज है जिसमें लड़की के प्रति माता-पिता अपना कर्तव्य समझते हैं । ऐसे दृश्य जो दिखाए जाते हैं ये हमारे समाज की परम्परा के प्रतीक नहीं हैं ।

इन फिल्मों के लम्बी होने के कारण हम देखते हैं कि कुछ हीरो और हीरोइन्स दस-दस लाख और आठ-आठ लाख रुपया प्रोडयूसर्स से ब्लैक में लेती हैं । अगर आप फिल्म की लम्बाई कम कर दें तो आप को अच्छे हीरो-हीरोइन दो-दो लाख में मिलने लगेंगे । और इस प्रकार छोटे कलाकारों को भी अवसर मिलेगा । आज कुछ खूबसूरत हीरोज और हीरोइन्स ने मानापली बना रखी है और आठ-आठ और दस-दस लाख रुपया लेते हैं । फिल्म छोटी होने से यह भी समाप्त हो जायेगी, छोटे कलाकारों को भी अवसर मिलेगा और फारिन एक्सचेंज की भी बचत होगी ।

मैं चाहता हूं कि पिक्चर की लम्बाई कम की जाय, साथ ही पहले स्टोरी की जांच की जाय और कला के प्रदर्शन में सौष्ठव हो ताकि वह हमारी अनुभूतियों और भावनाओं का सही प्रदर्शन कर सके ।

हम रेड्डी साहब को धन्यवाद देते है कि उन्होंने इस बारे में कड़ा स्टेप लिया है और सख्त सेंसर बोर्ड स्थापित किया है । मैं बम्बई में रहने के कारण जानता हूं कि फिल्म सेंसर बोर्ड फिल्मों में काफी काट छांट कर देता है । किन्तु फिर भी हम देखते हैं कि सेंसर बोर्ड के मेम्बरों पर दबाव डाला जाता है कि इसको पास कर दो । उस में लोगों को कभी-कभी सफलता मिलती है कभी नहीं मिलती ।

जिस पब्लिक के लिए पिक्चर बनाई जाय यह भी देखा जाय कि उस की साइकालाजी क्या है । उसके लिए मनोरंजन का अच्छा वातावरण बनाया जाय । ऐसा प्रदर्शन न किया जाय कि लाश पड़ी है और हीरोइन गाना गा रही है । आप ने कई पिक्चर्स में ऐसा सीन देखा होगा । यह कितना अस्वाभाविक है । हम समझते हैं कि अगर फिल्मों की लम्बाई कम कर दी जायगी तो इस प्रकार की ऊलजलूल चीजें उस में स्थान न पा सकेंगी । मेरा ख्याल है कि अगर आप दस हजार फीट से ज्यादा लम्बी फिल्में एलाऊ न करें तो अच्छी-अच्छी पिक्चर्स बनेंगी और ऐसा करने से फारिन एक्सचेंज की भी बचत होगी ।

श्री सरजू पाण्डेय (रसड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । माननीय सदस्यों ने कहा

कि हमारे देश का सिनेमा जगत अच्छा नहीं है। सिनेमा का क्या उद्देश्य है ? हम समझते है कि सिनेमा का यह उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे समाज में अच्छे-अच्छे विचार उत्पन्न हों। सिनेमा का प्रदर्शन लोगों में अच्छे विचार उत्पन्न करने में सहायक होना चाहिए। लेकिन होता इसके विपरीत है। हमारे देश में अपराध करने वालों में अधिकतर सिनेमा देखने वाले या सिनेमाओं में काम करने वाले पाए जाते हैं। इसलिए हम को इस पर सोचना चाहिए।

हमारे यहां एक सैद्धान्तिक झगड़ा है कि कला समाज के लिए है या समाज कला के लिए है। हम कहते हैं कि कला समाज के लिए है और मैं समझता हूं कि अन्य माननीय सदस्य भी यही समझते होंगे। इन में दूषित गाने काफी गाये जाते हैं और दूषित दृश्य दिखाये जाते हैं। ऐसे गाने केवल सिनेमा में ही नहीं होते, हमारे आल इंडिया रेडियो से भी इसी प्रकार के गाने प्रसारित किये जाते हैं। हाल में पटना से चीन के सिलसिले में एक लोहा सिंह नाम का प्रोग्राम प्रसारित किया जाता है। उसमें यह होता है कि घर में जितने चीनी मिटटी के बरतन हैं उनको फोड़ा जाता है। लोग इस पर हंसते हैं कि इस प्रकार घर के बरतन फोड़ कर चीन से कैसे लड़ाई लड़ी जायेगी। तो इस प्रकार के प्रोपेगेंडा का स्तर बहुत नीचा है। इसको ऊंचा करना चाहिए। मेरा विचार है कि फिल्मों में जो फिजूल की चीजें दिखायी जाती हैं उन को समाप्त करना चाहिए और यह काम लम्बाई कम करने से हो सकता है। हमारे सिनेमाओं का उद्देश्य जनता को ऊंचा उठाना होना चाहिए। तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकेगा। सिनेमा को लोगों में अच्छे विचार उत्पन्न करने का माध्यम बनाना चाहिए और उनमें अस्वाभाविक दृश्य न दिखाए जाने चाहियें।

अभी मैं ने हाल में एक फिल्म देखी "ग्यारह हजार लड़कियां"। उसमें जो अदालत का सीन दिखाया गया है वैसा इस देश में कहीं देखने में नहीं आता।

एक माननीय सदस्य : उस की लम्बाई कितनी है ?

श्री सरजू पाण्डेय : यह तो मुझे नहीं मालूम कि उस की लम्बाई कितनी है। मगर उस में जज साहब हाथ में हथौड़ी लिए दिखाये जाते हैं जैसाकि हिन्दुस्तान में कहीं नहीं होता। और न जाने क्या-क्या तमाशे ला लाकर उस में रखे गए हैं। यह बिल्कुल स्वाभाविक नहीं मालूम होता।

मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मैं समझता हूं कि टांटिया साहब इस को वापस न लेंगे। मुझे भय है कि मिनिस्टर साहब उन को आश्वासन दे देंगे और वे इस को वापस ले लेंगे। मैं चाहता हूं कि वे डटे रहें और इसे वापस न लें। मंत्री महोदय से मैं अपील करता हूं कि अगर वे दर असल देश को उठाना चाहते है तो सिनेमा जगत में सुधार करें ताकि जनता को अच्छे चित्र दिखाए जायें। न सिर्फ फिल्मों की लम्बाई कम करने की जरूरत है वरन् उन के नाटक और कहानी में भी ज्यादा से ज्यादा सुधार करने की कोशिश होनी चाहिए ताकि . . .

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) यह इस बिल से हो जायगा।

श्री सरजू पाण्डेय : इस बिल से नहीं होगा।

मैं समझता हूं कि केवल फिल्मों की लम्बाई घटाने का ही प्रश्न नहीं है बल्कि इस के लिए एक बिलकुल कम्प्रीहैंसिव बिल लाना चाहिए जिनमें कि अच्छे तरीके से इन बातों की जांच हो और देखा जाय कि किस तरीके से अपने देश के लोगों का उत्थान कर सकते हैं। इसलिए मैं इस में ज्यादा नहीं जाना चाहता। सिर्फ इस चीज के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं कि माननीय

[श्री सरजू पाण्डेय]

मंत्री इसको विचार करें और सिर्फ अपील करके अपने इस बिल को वापिस लेने की बात न करें। वे सदन को यह विश्वास भी दिलायें कि इस पर हम विचार करेंगे और इसके लिए कोशिश करेंगे कि देश में इस तरह की फिल्में बनें जिससे हमारे देश का उत्थान हो। हमारे देशवासी सही मायनों में शिक्षाप्रद फिल्में देख कर लाभ प्राप्त कर सकें।

Shrimati Lakshmikanthamma (Khammam): I would like to make a suggestion, rather an amendment, to the cause wherein it is stated. ....

Mr. Deputy-Speaker: We are now at the general consideration stage. Amendments will come later.

Shrimati Lakshmikanthamma: Then I will say it is a suggestion. Here there is a clause which says that a film should not have more than 10,000 ft. length. I would suggest that no social film should be more than 12,000 ft. and any mythological or puranic film can have a length of 15,000 ft. A 10,000-feet film will last for less than two hours, and our masses will never be satisfied with only that much of entertainment in a film. After a day's tiresome job, they want to go to a film and enjoy it. Sometimes if it is a stunt picture, with boxing or sword-fighting shown, they themselves feel they are in it. Sometimes they would also like to shed a few tears when there is a scene showing suffering with which they wish to identify themselves.

Of course, we have to improve the standard of taste of our masses. But we have to look at things as they are at present. Shri R. S. Pandey was just now saying that in films there is repetition of song scenes, birthdays parties etc. These are the things that help in minting money. I know of some very good films which have failed, because they have a higher standard. I expect that after a decade or two our people will rise up to that standard where they can appreciate a very high standard in films.

As regards taking permission of Government, already film producers are complaining about so many difficulties about procuring celluloid etc. If there is another difficulty by way of taking permission, they will have to undergo further troubles. So this provision need not be there.

We are now wasting a lot of foreign exchange in procuring raw films from outside. We should encourage the production of enough raw film in our own country, thus avoiding expenditure on foreign exchange.

In an independent India, we cannot reduce the importance of the film. The community development activities and other activities in the country have created so many desires among the people. Instead of being lethargic or dull, creation of such desires in the minds of the people will induce them to further activity.

People now want schools, hospitals and so many other things in their villages. The number of film-goers in the evenings has incerased considerably. The number of theatres has also increased.

Our film producers should, as far as possible, try to avoid repeating the same themes. The difficulty with our producers is that some people gather together, some idea gets into their mind, and they want to produce a film. They do not have a story first. They must first have the story and then think of good actors who will fit the character, and then they must think of producing. But, instead, they think of some film star and then try their best to find a suitable story. That is how they have been failing.

The film industry must also be defence-oriented. They must produce

more of patriotic films which will impress the people and produce an impact on them.

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय सदस्य श्री रामेश्वर टांटिया को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने सारे देश के हित के लिए यह बिल सदन के सामने रखा है। उनके हम बहुत आभारी हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं उन से यह भी अपील करता हूं कि उनका नाम "राम" से शुरू होता है और भगवान राम की नेचर यह है :—

"रामो द्विर्नाभिभाषते"।

राम जिस चीज़ को कहते हैं उसको वह वापिस नहीं लेते हैं। इसलिए मिनिस्टर साहब के असर में आकर यह बिल वापिस न लिया जाय। आजकल की गंदी और असामाजिक फिल्मों के कारण जहां देशवासियों के चरित्र को हो रही हानि बचेगी वहां फौरेन एक्सचेंज पर जो करोड़ों रुपया इस देश का खर्च हो रहा है वह भी बचेगा।

दूसरे मुल्कों में हम ऐसी फिल्में देखते हैं कि उनमें अगर एक शब्द भी काट दिया जाय तो उस का सारा मंतव्य खत्म हो जाता है लेकिन यहां भारतीय फिल्मों के बारे में देखने में आता है कि ६, ६ महीने बाद इजाजत दी जाती है कि पहले बनी फिल्म में पन्द्रह मिनट की स्टोरी और बढ़ा दी जाये। दुनिया में सब से बड़ा क़ायदा तो यही है कि **ब्रेविटी इज दी सोल ऑफ विट**। अर्थात् जितना संक्षेप में कहा जायगा उतना ही सुन्दर कहा जायेगा। इस तरह से हमारी फिल्मों में श्रृंगार रस और प्रेमालाप को बढ़ाना जबकि दुश्मन हमारी छाती के ऊपर सवार हो कहां तक वांछनीय है ? ऐसे नाजुक समय में हजारों, लाखों रुपये खर्च करके देश के सामने इशकिया नज्जारे रखना देश की कुसेवा करना है। आज जरूरत इस बात की है कि जिस तरीक़े से रूस में मिलेटरी ट्रेनिंग, राइफ़ल ट्रेनिंग, ट्रैक्टर और एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सिनेमा के जरिये दी जाती है उसी तरह से हिन्दुस्तान में भी यह ट्रेनिंग फिल्मों द्वारा दी जाय। हिन्दुस्तान में भी इस चीज़ की बड़ी जरूरत है।

कुछ दिन हुए मैं पाकिस्तान गया था। कुछ वहां के मुसलमान भाई जोकि सिंसियर थे उन्होंने मेरे से यह सवाल किया कि क्या मुसलमान लोग आपके हिन्दुस्तान में बाजारों में जा सकते हैं ? क्या वे रेलगाड़ियों में सफ़र कर सकते हैं, घोड़े पर सवार हो सकते हैं ? अगर हमारा प्रोपैगेंडा यहां ठीक होता, सिनेमा और ब्रौडकास्टिंग के जरिये ठीक से प्रचार किया गया होता तो उन लोगों में यह ग़लतफ़हमी पैदा न हुई होती और उन्होंने मुझ से यह सवाल न किये होते। बात यह है कि साम्प्रदायिकता को बढ़ाना बहुत आसान है। लोगों के दिलों के अन्दर भय पैदा कर देना बहुत आसान है लेकिन भारतीयता की दृष्टि से नेशनलिज्म की दृष्टि से एक जगह बैठ कर देश की रक्षा के लिए उपाय सोचना और देश रक्षा के लिए कमर कस कर तैयार होना मुश्किल है। जनता में इसकी जानकारी देने के लिए सब से बड़ी जिम्मेदारी हमारी ब्रौडकास्टिंग और एनफोर्मेशन मिनिस्टरी के ऊपर है। आज की नाजुक घड़ी में इस देश की जनता को तैयार करना है। हमें उसे चीनी आक्रमणकारियों से युद्ध करने के लिए और उनका मुकाबला करने के लिए तैयार करना है। जरूरत इस बात की है कि देशवासियों का चरित्र ऊंचा हो। जिन फिल्मों में शराब के गंदे गीत गाये जाते हैं, अश्लील इशकिया और गंदे गीत गाये जाते हैं उन फिल्मों के ऊपर पाबन्दी होनी चाहिए। छोटी से छोटी और अच्छी से अच्छी फिल्में हमारे देश में बननी चाहिएं। देश को चरित्रहीन और श्रृंगारी बना देना बहुत आसान है लेकिन देश को शत्रु के मुकाबले में युद्ध पर ले जाना और देश के चरित्र को ऊंचा उठाना मुश्किल काम है।

[श्री यशपाल सिंह]

"नशा पिला के गिराना तो सब को आता है,
मजा तो जब है कि गिरतों को थाम ले साक़ी।"

16:30 hrs.

[SHRI THIRUMALA RAO *in the Chair*]

सब से बड़ी चीज़ यह है कि देशवासियों का चरित्र ऊंचा किया जाय। हमारे संस्कृत साहित्य में एक कहावत चली आती है :—

"एक मात्रा लाघवेन पुत्रोत्सवं
मन्यन्ते वैयाकरणाः ।"

अगर एक मात्रा की कमी हो जाय तो जो लिटरेरी पर्सन्स हैं उनको उतनी ही खुशी होती है जितनी खुशी कि अपने घर में पुत्र के पैदा होने से होती है।

अन्त में मैं और अधिक न कहते हुए सिर्फ यही कहूंगा कि जहां मैं श्री रामेश्वर टांटिया को यह बिल लाने के लिए धन्यवाद देता हूं वहां उनसे यह भी अपील करता हूं कि वह इसको हरगिज़ वापिस न लें।

Shrimati Renu Chakravartty (Barrackpore): The Bill is an important Bill.

Mr. Chairman: I should like to remind the hon. Members that only five minutes are allowed as the Minister has to reply.

Shrimati Renu Chakravartty: This Bill should be accepted by the Minister. The idea of the Bill is limited—it is to limit the length of the film. Starting from that we will be able to go to the other objectives, that is, to have an artistic and educative product. It is not the quantity that matters; it is the quality. Let us start with limiting the quantity so that if we can bring it within a smaller so that we will be able to devote more time for the educative and artistic contents. The English, French and Italian and other films and just 9000 or 10,000 feet in length; they give excellent full-time stories. There is no reason why we should sit through a painful period of three hours looking at these films which go on and on. Some hon. Members perhaps Shrimati Lakshmikanthamma was saying that we should have 15,000 feet because people in the country want to see films for three hours.... (*Interruptions.*) My point is that this can be used as a very important media in a country which needs audio visual aids. But in doing so the mind has also got to be trained. Not only from the point of view of foreign exchange and economy but also from the point of view of education the film societies and film boards should give more attention to this point and should learn from the new techniques and methods that are coming up in the cinema trade through the world. Shri Tantia said that the Bengali films, some of them are very good. But it is not true that all of them have been box-office hits. The artistic films have to come up slowly. The taste of the people is also undergoing change. That is also very necessary. It may not always be true to say that all films which are of smaller length and of high artistic value have all been box-office failures. I am sure the trade will also co-operate in this matter. Sometimes it happens that the entire 15,000 or 10,000 becomes a waste. Puranic films can be limited to a particular story. If it is done in an artistic manner it will attract people much more There is the news reel and other educative films. If we can have a well-thought out programme for 2½ or 2¼ hours it will be good. But we should not permit any length beyond 10,000 feet. So, I fully support Shri Tantia on this Bill and I will also join other hon. Members in asking him not to withdraw this Bill and I will also appeal to the hon. Minister to accept it if the Government is serious about the economy measures.

Shri Priya Gupta (Katihar): I can support this Bill brought forward by Shri Tantia from the point of view of saving foreign exchange. However, I do not quite understand the other point about raising the standard of

the show or how this Bill will help in that. Even if the total length of the film is curtailed, the producer will not always reduce the other factors. That will depend on society and on what people in general want. There is the desire of the society to have a certain type of show. If the hon. Member feels that this taste cannot be changed by the guardians, by the teachers and others and that they should try to impose it through an enactment like this, I am unable to understand it. The curtailment of the length, can it force the producer not to go in for such things as are not liked by people like Shri Tantia. That is what I have to say on that point. It is high time that this should be pulled up and some steps taken against what we call in slang—I do not know whether I am permitted to say it or not—anyway, I feel that it is not conducive to the growth of society. After all, what I personally feel is, an enactment alone cannot remove a social evil. I have seen parents telling their sons and daughters: "Remain here; we are just coming," and then slipping out to the cinema house and seeing and enjoying the film. But unfortunately, the boys and girls studying in the colleges do the other way round; they purchase tickets and see the cinema and find themselves just by the side of their parents in the interval. These things must be toned up. The enactment alone cannot enforce the will of the people.

I would submit that this should also be our objective, namely, compared to the foreign films, if our films are long, I support the plea that the length should be curtailed. I do not wish to take much time of the House, since many hon. Members also wish to speak. But I again submit that it is time that we toned up these things, and removed the social evils by restraint of our own behaviour before our children and the youngsters. That alone would be the right solution to this problem.

Mr. Chairman: I can spare three or four minutes before the Minister replies. If there is one more Member wishing to speak, I can spare the time.

Shri D. C. Sharma: I must hav the time to move my Bill.

Shri K. C. Sharma (Sardhana): Mr. Chairman, Sir, I am sorry that I do not agree with the proposition put forward by Shri Rameshwar Tantia. The simple point is, the average citizen in India is a member of the joint family. My own experience is that from the sweeper-woman up to the grandmother, everybody teaches something or other to the poor man. We are tired of listening to instructions: do this, do not do that; walk here, do not go there; eat this, do not eat that; put on this dress; do not put on that dress; this shoes is not good, that is better. Every detail of life is dictated to the poor mortal. He has little freedom to do or think as he would like to do or think.

Situated as we are, somewhere in the world, there should be freedom to relax and think. The poor man should get relaxed. So, I do not think that even in the matter of the pleasure-house or even in the matter of song, or picture, you must have any restriction, saying, do it or show it or do not show it. You shall have to show what one likes to see. It is my taste. That taste will determine or dictate what the producer should produce and what he should not produce. In a matter of pleasure, like this industry is, I think rules and regulations should not be allowed to play a conspicuous part.

As to education and all those things, this is what is called an individual acting on the social organisation and the social organisation acting on the individual. Pleasure and entertainment for pleasure are not the instruments in building character. They are instruments in providing relaxation after a tired day and they should remain so. With these words, I close.

Mr. Chairman: How much time would the Minister like to take?

The Deputy Minister in the Ministry of Information and Broadcasting (Shri Sham Nath): About 15 minutes.

Mr. Chairman: One more speaker can be accommodated within three minutes' time. Shri Rameshwar Tantia will have five minutes to reply.

Dr. M. S. Aney: Each of us who are interested may be permitted to make a little contribution to this.

Shri Inder J. Malhotra (Jammu and Kashmir): I rise to oppose this Bill. I feel that after listening to the debate, the points which have been emphasised are more of a technical nature, to improve the quality of the pictures. The mere curtailment of the length of the films would in no way improve the technical aspects of production of films. On that very plea, I would suggest to the hon. Minister that as far as the curtailing of the length of the film is concerned, this can be very easily brought about through the Film Advisory Council or other films organisations which have connections with the Government. I would also suggest to the Minister that it is high time, especially keeping in view the trend of the debate today in the House, that a more comprehensive Bill to improve the technical and other aspects of films be brought before this House, so that whatever objections we have may be removed and whatever imaginary pictures we have formed in our minds to see and whatever kind of films we want to be produced in India may be done in future.

Shri Sham Nath: Mr. Chairman, Sir, there is no doubt that the object of the hon. Member who has moved this Bill is laudable, but we have to consider the whole question as to how far the object which he has in view could be served by any restrictions being placed on the length of films. As regards the views that have been expressed about our films, I would submit that these views are not relevant to the consideration of the issue before us. One can say—there are justifiable grounds to say it—that some of our films are defective; they have no purpose and they are not made in the proper way. But the question of saving the raw film is really important irrespective of these considerations and we have to see how far it is possible to serve this object by a resort to legislative measures.

I would place before the House two aspects of the question. As the law stands at present, we cannot put any restriction on the length of films, because film production is an industry and is covered by Entry 24 of the State List in the Seventh Schedule of the Constitution. At present, the Central Government is empowered to put reasonable restrictions by way of censership on films after they are produced. That is the only power that the Central Government enjoys at present.

As regards the import of raw films, as the House is aware, it is arranged under......

श्री कछवाय : सभापति महोदय, कोरम नहीं है ।

Mr. Chairman: The bell may be rung—There is quorum now. The hon. Minister may continue his speech.

Shri Sham Nath: Sir, I was just submitting that the import of raw film is entirely arranged by the Government and it is distributed in consultation with the Central Advisory Committee and the Regional Advisory Committees. It appears there is a feeling that there has probably been an increase in the consumption of raw films. I would, therefore, place before you the figures for the last four years which would show

that there is a progressive decrease in the value of imports of raw films in relation to the films that are produced in this country. For instance, in 1959, the value of the imports was about Rs. 277 lakhs. In 1960 it was Rs. 194 lakhs or so, in 1961 it went down to Rs. 165 lakhs and in 1962 it was only about Rs. 158 lakhs. Therefore, from Rs. 277 lakhs in 1959 it has come down to Rs. 158 lakhs in 1962.

Shri Rameshwar Tantia: What about other apparatus?

Shri Sham Nath: As regards other apparatus I have not got the figures. But we cannot forget that the film industry is one of the most important industries in the country—probably its position is seventh or eighth in India from the point of view of importance—and we also cannot forget that we earn considerable foreign exchange by the export of Indian films. From the point of view of the value of imports, as I have just stated, our burden of foreign exchange has gone down.

Then, we have been taking necessary steps to persuade the film industry to voluntarily restrict the length of the Indian films.

Shri Sonavane (Pandharpur): The hon. Minister stated that there is considerable increase in the foreign exchange earnings. Let him give the corresponding figures so that we will be able to educate ourselves.

Mr. Chairman: Order, order. The Minister should have freedom to reply. The time is very short. Let him go on. If he has got the figures he will give you.

Shri Sham Nath: Those figures have been given in the House several times. If the hon. Member so desires I will pass on those figures to him. I was just submitting that the film industry itself has imposed certain restrictions. This important matter was considered at length by the Film Enquiry Committee which expressed its considered views on this question. I think it would be desirable if I read out the conclusion of the Film Enquiry Committee on this issue.

Shri Rameshwar Tantia: When was this Committee set up?

Shri Sham Nath: This Committee was appointed in 1949 and it consisted of several eminent persons in the public life of the country. Some representatives of the film industry were also associated with it. I am referring to page 140 of the report. In paragraph 40, their conclusion is:

> "The conclusion is, therefore, forced upon us that restriction on the length of the picture, particularly to the figure now enforced in most of the States, unaccompanied by any measures for the improvement of the films would fail to achieve either a rise in standards or a reduction in cost and that no effective reduction will be achieved in the consumption of raw film and, if at all the restriction would produce any effect it would be to hamper the more imaginative and creative of the producers in the country."

Then there is one other aspect of the question. When raw films are produced a considerable quantity of negative films is used by the producer. So, if a limit or a ceiling is fixed on the length of the final version of the film, it would not by itself in any way substantially help in the saving of raw film.

Moreover, Sir as the House is aware, Government have recently appointed a Film Consultative Committee and all matters relating to the film industry are considered by that body. There was a meeting of this committee in the month of December last when the Minister made an appeal to the industry to save as much raw film as possible. It is understood that the industry will take some effective steps to

[Shri Sham Nath]

implement the advice that was given by the Minister. So, we feel that under the circumstances it would not serve any useful purpose if any restrictions were imposed by the Government. We should wait for the result that may be achieved by the industry as a result of its voluntary efforts.

Then, sir, we have started a factory in Ooty to manufacture raw film and it is expected that it will start production in the year 1964. So, I would submit that on three grounds Government is opposed to the Bill, and these three grounds briefly are: (1) that the industry does not fall within the legislative jurisdiction of the Union Government; (2) that foreign exchange expenditure incurred on the import of raw films is being reduced progressively and will be reduced further when local manufacture starts, and (3) the voluntary restriction on the length of film is already enforced.

श्री रामेश्वर टांटिया : सभापति महोदय, जो बिल मैं ने रखा उस में बहुत से माननीय सदस्यों ने भाग लिया और उसका मंत्री महोदय ने जवाब दिया । मैं कह सकता हूं कि इससे मेरा आधा काम तो हो गया ।

जिन सदस्यों ने इस बहस में भाग लिया उन्होंने यह तो प्राय: स्वीकार किया कि फिल्मों की लम्बाई कम होनी चाहिए, एक दो को छोड़ कर । श्रीमती लक्ष्मी कान्तम्मा ने भी मुझे सपोर्ट किया कि सोशल फिल्मों की लम्बाई १२००० फीट तक होनी चाहिए । कुछ लोगों ने यह भी कहा कि लम्बाई कम होने से फिल्मों में जो रिपोटीशन्स होते हैं वे भी कम हो जायेंगे और फिल्म का खर्च भी बचेगा ।

जहां तक फारिन एक्सचेंज का सवाल है, मेरे इस बिल का केवल मात्र उद्देश्य फारिन एक्सचेंज तक ही सीमित नहीं है । फिल्मों की लम्बाई कम होने से उन में ऊल जलूल चीजें भी स्थान नहीं पायेंगी ।

अब रही समय की बात तो मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि २५ मिनट तो हमारी सरकारी न्यूज रील में लग जाते हैं और उस में हम को अच्छी जानकारी मिल जाती है । उसके बाद दस मिनट का इंटरवैल होता है । उसके बाद दो घन्टे का मनोरंजन १०,००० फीट की फिल्म से हो सकता है । इस तरह से ढाई घंटे का मनोरंजन हो जायेगा जो कि काफी है । मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हम को इस बारे में काफी जानकारी दी ।

लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं कि १९४९ की कमेटी को बने १३ साल हो गये और उसकी सिफारिशें पुरानी हो गयीं । मेरा सुझाव है कि अब एक कमेटी फिर से बनायी जाये जो कि लोगों के टेस्ट को ध्यान में रख कर ज्यादा अच्छी सिफारिशें दे सके ।

फिल्म की लम्बाई कम होने में दस लाख या एक लाख का सवाल नहीं है । आज कल के समय में तो अगर पांच हजार का भी फारिन एक्सचेंज बच सके तो वह हमारे लिए पचास लाख के बराबर है ।

मैं मंत्री महोदय को एक बार फिर धन्यवाद देकर अपने इस बिल को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं और आशा करता हूं कि जो विचार मैं ने तथा अन्य सदस्यों ने व्यक्त किये हैं उनको ध्यान में रखते हुए वे इस तरफ ध्यान देंगे और जो भी उचित कार्रवाई हो सकेगी करेंगे ।

Mr. Chairman: Has the hon. Member the leave of the House to withdraw the Bill?

Some Hon. Members: Yes.

The Bill was, by leave, withdrawn.